



सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआशे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

सीपज़-सेज़/ईएमएस/ऑथोरिटी सर्कुलर/2014-15

दिनांक 28.12.2016

परिपत्र-19 / 38 38 6

विषय:- जनवरी - 2014 महिने के लीज़ किराए का भुगतान दिनांक 10.01.2017 तक किए जाने के संबंध में ।

सभी यूनिटधारकों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि सीपज़ - सेज़ प्राधिकरणने दिनांक 27 दिसंबर, 2016 को जनवरी, 2017 महिने का किराया बिल भेज दिया है तथा सभी यूनिटधारकों को दिनांक 10 जनवरी, 2017 तक सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण को किराए का भुगतान करना है ।

19/12/2016
(विजय प्रकाश शुक्ल)
संपदा प्रबंधक /
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीपज़ - सेज़ प्राधिकरण

प्रति,
सभी यूनिट तथा जनोपयोगी सेवाएं

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294770

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294770

फैक्स / Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल / E-mail : dcseepz-mah@nic.in

वेबसाइट / Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग



सत्यमेव जयते

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
सीपज़ सेवा-केन्द्र भवन, सीपज़-विआक्षे
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096.

SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY
SEEPZ SERVICE CENTRE BUILDING, SEEPZ SEZ.
ANDHERI (E), MUMBAI - 400 096.

SEEPZ-SEZ/EMS/Authority Circular/2014-15

38386

28.12.2016

CIRCULAR 19

Sub: Payment of the Lease Rent for the month of January, 2017 will be allowed to pay till 10.01.2017.

All unit holders are hereby informed that the SEEPZ-SEZ Authority has already forwarded the Rent bill on 27th December, 2016 for the month of January, 2017 and unit holders will be allowed to pay the Rent to SEEPZ-SEZ Authority till 10th January, 2017.

(V. P. Shukla)
Estate Manager /JDC,
SEEPZ-SEZ Authority

To,
All units and Public Utility.

अध्यक्ष Chairperson 28290856

सचिव Secretary 28294729

प्रबंधक (संपदा) Manager (Estate) 28294725

फैक्स Fax : 28291385 / 28291754

ई-मेल E-mail: dcseepz-mah@nic.in

वेबसाइट Website : www.seepz.gov.in

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण के बढ़ते कदम - राजभाषा के संग